

रीजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127 REGISTERED NO. B. (D.N.) 127.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 1989/फाल्गुन 26, 1910  
No. 139] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 1989/PHALGUNA 26, 1910

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(स्वास्थ्य विभाग)

प्रसिद्धता

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1989

सा. का. नि. 365(घ)—केंद्रीय सरकार, परिवार और स्वास्थ्य विभाग की अधिनियम, 1940 की धारा  
3 के खंड (घ) के उपखंड (4) के अनुसरण में, परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी की जाने वाली प्रस्तावित  
विनियमित मुद्रितियों को अलग-अलग रूप में प्रिंटिंग कराया है:—

(1) अलग-अलग प्रस्तावित मुद्रितियाँ

728/G1/89

(2) न्यून योग्य प्रसल्लक सुर्षल

(3) न्यून योग्य ललल सेट :

[नं. एन 11014/8/88-नं एन एन एन एन एन

ननननन नन, ननननन

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1989

G.S.R. 365(E).—In pursuance of the sub-clause (iv) of clause (b) of Section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, the Central Government hereby specify the following devices, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, as drugs with immediate effect :—

- (i) Disposable Hypodermic Syringes
- (ii) Disposable Hypodermic needles
- (iii) Disposable Perfusion sets.

[No. X. 11014/8/88-DMS&PA

VINEETA RAI, Jt. Secy.